प्रेस हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति सं. 91/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने तय की गई 1600 सीरीज़ और 140 सीरीज़ के कामकाज के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026- प्रेस और मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 1600 सीरीज़ और 140 सीरीज़ के कामकाज के बारे में ऐसी टिप्पणियां/विचार व्यक्त किए गए हैं, जिनकी वजह से इन निर्दिष्ट सीरीज़ के संचालन के बारे में गलतफहमी हो सकती है । इस संबंध में सही विनियामक स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती हैः

(i) भादूविप्रा (ट्राई) ने बीएफएसआई (BFSI) क्षेत्र की विनियमित संस्थाओं यानी आरबीआई(RBI), सेबी(SEBI), आईआरडीएआई (IRDAI) और पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा अपने मौजूदा ग्राहकों हेतु सेवा और लेनदेन कॉल के लिए और सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकार से नागरिकों हेतु संचार के लिए 1600xx सीरीज़ नंबरों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इन महत्वपूर्ण संचारों के लिए निर्दिष्ट सीरीज़ निर्दिष्ट करने का एक प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों/नागरिकों के लिए ऐसी कॉलों को भरोसेमंद बनाना है। टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR), के तहत 1600 सीरीज नंबरों से आने वाली कॉलों की किसी भी तरह की टैगिंग, ब्लॉक या फिल्टर करने की अनुमति नहीं है।

(ii) भादूविप्रा (ट्राई) किसी भी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्रमोशनल कॉल करने के लिए 140xx सीरीज नंबरों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। प्रमोशनल कॉल करने के लिए 140 सीरीज नंबर का लाभ उठाने की इच्छुक संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर फ्रेमवर्क के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकरण करना और विनियमन के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। ग्राहकों को यह अधिकार है कि वे डू नॉट डिस्टर्ब (DND) रजिस्ट्री पर अपनी प्राथमिकता दर्ज करके किसी भी या सभी क्षेत्रों की संस्थाओं से 140 सीरीज़ नंबरों से आने वाली प्रमोशनल कॉल को अनुमति दें या उसे ब्लॉक कर दें। किसी भी ग्राहक, जिसने कि किसी भी या सभी क्षेत्रों को डीएनडी रजिस्ट्री पर प्रमोशनल कॉल प्राप्त करने के लिए ब्लॉक कर दिया है , उसे ब्लॉक किए गए क्षेत्रों की संस्थाओं से आने वाली 140 सीरीज़ से कोई प्रमोशनल कॉल प्राप्त नहीं होगी। ग्राहक TRAI DND App सहित अनेक माध्यमों से अपनी डीएनडी वरीयता को पंजीकृत कर सकता है। डीएनडी रजिस्ट्री पर ब्लॉक करने के अलावा 140 सीरीज़ नंबरों से आने वाली कॉल को किसी भी टैगिंग या फ़िल्टरिंग की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोई भी टैगिंग उस ग्राहक को गुमराह कर सकती है जिसने अन्यथा डीएनडी रजिस्ट्री पर किसी सेक्टर से ऐसी कॉल की प्राप्ति की अनुमति दी है।

09/07/2026

(हरिन्द्र कुमार)
सचिव
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण